

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/मु.अ./2024/ 2540

दिनांक 21/08/24

**प्रार्थनी:-**

1 ढेलीदेवी पत्नि भीखाराम, जाति सुथार  
निवासी इटादा, तहसील धनाऊ  
जिला बाड़मेर

**विप्रार्थीगण:-**

1 दासू पुत्र बाहदुर 2 सुमार पुत्र मुदीन 3 कायम  
पुत्र आदम 4 सुमार पुत्र सोमा, जाति मुसलमान  
5 हुकमा 6 गंगा पि सोमा, जाति सुथार 7 उमीदेवी  
पत्नि अचलाराम, जाति जाट, निवासी इटादा  
तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम  
वास्ने करने नेखमवंदी वाचन ।

राजस्व आवेदन सं. 125/2024

दिनांक : 21.08.2024

आदेश

तहसीलदार धनाऊ को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील धनाऊ, पटवार क्षेत्र  
इटादा के मौजा इटादा के खेत खसरा सं. 1194/160, 1195/160, 894/164 रकबा क्रमशः  
02.5252, 03.6826, 01.5054 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पट्टे नेखम स्थापित करने हेतु आपको  
कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमवंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी  
मक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के स्वयं मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार  
मानकर विधिबद्ध तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमवंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश  
करें।

आवश्यकता होने पर सम्यन्धित पुलिस थाना से पुलिस डमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

प्रार्थनी को कमिशनर की फीस रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/मु.अ./2024/ 2541 to 44

प्रतिनिधि :-

1. तहसीलदार धनाऊ
2. प्रार्थनी ढेलीदेवी
3. विप्रार्थीगण दासू वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/वीजगाह/धौरीमन्ना/धनाऊ / सेडवा

उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन ok

दिनांक 21/08/24



(सुरजभान विश्वासे)

उपखण्ड अधिकारी

चौहटन ok